न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1777/2026

सी.एन.आर.नं.–यू0पी0जी0डी0 01–004879–2026,

शहबाज उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र युनुस, निवासी नौरंगाबाद कब्रिस्तान गली, थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी।

————–प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

————– अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–547/2026,
धारा–308(5),64(1),351(3) भा0न्या0सं0
थाना–को0 नगर, जनपद–गोण्डा।

प्रथम जमानत आदेश

दिनांक–01.08.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त **शहबाज** द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–547/2026, धारा–308(5),64(1),351(3) भा0न्या0सं0. थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पैरोकार शहनवाज के शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियक्त शहबाज के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी निर्दोष है, उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन फंसाया गया है। कथित घ ाटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही कथित घटना दिनांक–24.122025, 26.05.2026 तथा 09.06.2026 की कही जाती है। एफ0आई0आर0 के अवलोकन से कथित घटना स्थल को0 नगर की दूरी 1. 5 कि0मी0 है, परन्तु वादिनी द्वारा टाइप शुदा तहरीर दिनांक–12.06.2026 की टाइप की गई दर्शित करते हुये थाना को0 नगर गोण्डा में एफ0आई0आर0 दिनांक–14.06.2026 को समय करीब 1.10बजे पंजीकृत कराई गई और इस प्रकार से एफ0आई0आर0 बहुत विलम्बित है तथा वाद कानूनी सलाह मशवरा वादिनी द्वारा फर्जी कहानी बना कर तहरीर टाईप कराई गई है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथन के अनुसार वादिनी पूर्ण वालिग तथा शादी शुदा बाल बच्चेदार महिला है। वादिनी ने अपनी तहरीर में उल्लिखित किया है कि वादनी का पति रोजी रोजगार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी का अपने पति के साथ व्यवहारिक सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं रहा है। वादिनी द्वारा अपने साथ की गई कथित घटना प्रथम बार कब घटित हुई थी, इसका कोई भी स्पष्ट दिनांक तहरीर में अंकित नहीं है, लेकिन तहरीर के इस अंकन से कि विपक्षी शहवाज सहमति के बिना तीन साल से लगातार बलात्कार करने लगे, परन्तु इस तीन साल के मध्य वादिनी द्वारा कोई प्रतिरोध या एफ0आई0आर0 नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण कन्सर्टिंग पार्टी का है और इस प्रकार से बलात्कार का कोई अपराध नहीं बनता है। वादिनी का पिछले कई वर्ष पूर्व से अपनी नन्द नगीना से मतभेद व विवाद चल रहा था, जिसमें प्रार्थी वादिनी की नन्द नगीना की मद्द कर रहा था, जिस कारण से वादिनी नाराज होकर रंजिश रखने लगी और एकमात्र रंजिश के कारण वादिनी ने एक फर्जी मनगढ़ंत कहानी बना कर फर्जी मुकदमा कायम करा दिया। प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में कोई भी प्रर्याप्त साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कथित जुर्म कत्तई आयद नहीं होता है। प्रार्थी वर्तमान समय में मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तथा नीट की

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.08.07 10:53:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परीक्षा भी दे चुका है, वादिनी ने प्रार्थी के भविष्य व कैरियर को बर्बाद कर देने की नीयत से वादिनी ने प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा कायम करा दिया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कथित जुर्म कतई आयद नहीं होता है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई घर परिवार की देखभाल व मुकदमें की पैरवी करने वाला नहीं है। प्रार्थी का स्थाई निवास है तथा उसके फरार होने अथवा न्यायालय की कार्यवाही से बचने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक–10.07.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली प्रत्येक शर्त का पालन करेगा तथा किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है, बाद जमानत अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। न्यायहित में प्रार्थी को जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

02. प्रार्थना पत्र के आलोक में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गई। थाने आख्या प्राप्त होकर संलग्न है। अब तक विवेचना व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त की वादिनी/पीड़िता को ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, जिसका विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य है। अभियुक्त अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। अभियुक्त जमानत शर्तो का उल्लांघन कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है और पीड़िता पर दबाव डाल सकता है या फरार हो सकता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आधारहीन, बलहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

03. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट साजिश करके पुलिस से मिल कर फर्जी मनगढ़ंत कहानी बना कर प्रार्थी को रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी पर वादिनी द्वारा लगाए गए आरोप के तथ्य झूठे हैं। अभियुक्त निर्दोष है तथा वह जमानत पाने का अधिकारी है।

04. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर आने पर उसका अश्लील फोटो खीच लिया और अश्लील फोटो के बल पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत व शारीरिक करने के लिये मजबूर करके पीड़िता के सहमति के बिना करीब तीन साल से शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और इसी बीच वीड़ियों भी बना कर ब्लैकमेल करके उससे पचास हजार रूपये व उसका 10ग्राम सोने झाला ले लिया और पॉच लाख रूपये मांग की गई और जान मारने की धमकी दे रहे है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृ ति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

05. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों, प्राथमिकी, के कथनों तथा थाना आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

06. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी एक शादी शुदा महिला है और उसके चार बच्चे है। प्रार्थिनी की ननद की शादी लखीमपुर खीरी में वकार अहमद के साथ हुई है। विपक्षी वादिनी के ननद के साथ उसके आजा जाता रहता था, इसी बीच चुपके से उसका अशलील फोटो खीच लिया। वही अश्लील फोटो दिखा कर वादिनी के साथ अश्लील हरकत व शारीरिक सम्बन्ध बनाने को विवश करने लगा। विपक्षी शहवाज सहमति के बिना तीन साल से लगातार बलात्कार करने लगा और वादिनी को धमका कर इसी बीच वीड़ियों भी बना लिया और 50,000/रू0 भी ले लिया। दिनांक–24.12.2025 को विपक्षी वादिनी की ननद नगीना के साथ आया और लगातार 7 दिन कर घर में रहा , इसी बीच उसने दूसरी वीड़ियों वायरल करने की धमकी देकर वादिनी का

10ग्राम सोने का झाला ले लिया और जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया और इस बात की जानकारी विपक्षी ने वादिनी के ननद नगीना व उसके पति वकार अहमद को दे दिया और अपने साथ मिला लिया। दिनांक–26.05.2026 को विपक्षीगण वादिनी के घर आये और शहवाज उसकी सहमति के बिना दबाव बनाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया और फोटो व वीड़ियों वायरल करने की धमकी देकर पॉच लाख रूपये की मॉग किया, जब वादिनी रूपया देने से इंकार किया तो फोटो व वीड़ियों उसके पति व सास को दिनांक–09.06.2026 को भेज दिया, जिससे वादिनी की जिन्दगी पूर्ण रूप से बर्वाद हो गई और उसका पति अपने साथ रखने से इंकार करने की बात कही गई है।

07. केस डायरी एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ लगभग 3 वर्ष पूर्व से फोटो व वीड़ियों दिखा कर और उसे वायरल करने की धमकी देकर उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाया और उससे रूपये व सोने का जेवरात ले लिये और फिर भी पॉच लाख रूपये की मांग कर रहे थे और उक्त मांग पूरी न होने पर उसका फोटो व वीडियों उसके पति व सास के पास भेजा दिया।

08. प्रस्तुत प्रकरण की केस डायरी के अनुसार पीड़िता के बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अंकित किए गए हैं, जिनमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसकी उम्र 32 वर्ष है, वह ग्रेजुएट है, उसके चार बच्चे है, उसका पति एम.आर. का काम करता है। उसकी ननद की शादी लखीमपुर खीरी में हुई है, उन्ही के मोहल्ले का रहने वाला शहवाज मेरी ननद के साथ मेरे घर गोण्डा आता जाता रहता था। इसी बीच शहवाज ने चुपके से उसका कपड़ा बदलते हुए अश्लील फोटो खीच लिया और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। शहवाज करीब तीन वर्ष से उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बना रहा है और उसके नहाते समय का वीड़ियों बना लिया है और वीड़ियों वायरल करने की धमकी देकर उससे करीब 50,000/रू0 भी ले लिया। दिनांक–24.12.2025 को शहवाज उसकी ननद नगीना के साथ गोण्डा आया और उसके घर करीब 7 दिन तक रहा और वीडियों वायरल करने की धमकी देकर उसका सोनी का झााला ले लिया था, जिसका वनज 10 ग्राम था। शहवाज फोटो व वीड़ियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया है। शहवाज ने मेरे अश्लील वीड़ियों नगीना और उसके पति वकार अहमद को भेज दिया। दिनांक–26.05.2026 को शहवाज उसके घर आया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और पॉच लाख रूपये मांगने लगा, मना करने पर दिनांक–04.06.2026 को दिन में करीब 12 बजे उसके पति और उसकी सास को अश्लील फोटो व वीडियों भेज दिया। अब उसका पति उसे रखने के लिये तैयार नहीं है। उसकी जिन्दगी बर्वाद हो गई है। वह मान्सिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी है। शहवाज उसका वीड़ियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 183 बी०एन० एस०एस० में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

09. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता की कपड़े बदलते समय फोटो खीचे जाने और उसी फोटो को दिखा कर पीड़िता के साथ जबरन करीब तीन साल से शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने और फोटो व वीड़ियों वायरल करने की धमकी देकर उससे पचास हजार रूपये व सोने का 10ग्राम झाला ले लेने तथा वीड़िया व फोटो वायरल करने की धमकी देकर पॉच लाख रूपये मांगने और रूपया देने से इंकार करने पर उसकी फोटो व वीडियों उसके पति व सास के पास भेजा दिया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

10. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में वर्तमान मामले के गुणावगुण पर बिना कोई अभिमत अभिव्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है, इसलिये आवेदक अभियुक्त का जमानत

आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शहवाज** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या–1777/2026, सम्बन्धित वाद अपराध सं0–547/2026, धाराः 308(5),64(1), 351(3) भा.न्या.सं0. थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा में निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार)
जे0ओ0 कोड़–यू.पी.3835
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट, गोण्डा।

दिनांक–01.08.2026